कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 3654 /12–1 देहरादून, दिनांक 04 मई, 2022.

सेवा में,

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राज्य राजमार्ग–24 मानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.620 तक के चार ले चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण विषयक।

सन्दर्भः– महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0– वसन्त विहार, देहरादून का पत्रांक– NHAI/PIU-VSNT-VHR/55011/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/2165 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–3562/12–1 दिनांक–23.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून को सम्बोधित तथा आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई0यू0पी0 (Elephant Under Passes) से संबंधित विस्तारित ड्राईंग एवं भिन्न–भिन्न स्थानों पर विश्लेषण का प्रस्ताव 04 प्रतियों में स्वीकृति/सहमति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किए गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित **Elephant Under Passes** के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का यह मत है, कि उक्त प्रस्ताव पर तकनीकी विशेषज्ञों यथा **Wildlife Institute of India (WII)** एवं **World Wide Fund for Nature (WWF)** से टिप्पणी **(comments)** प्राप्त कर लिये जाए कि **Under Passes** की **Location, Drawing and Design** उचित है अथवा या नही, तथा क्या किसी अन्य ढांचा **(structure)** के निमार्ण की आवश्यकता तो नही है। उक्त टिप्पणी प्राप्त हो जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना यथोचित होगा।

इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा अपने पत्र– 2684/12–1 दिनांक– 28.4.2022 के द्वारा इस कार्यालय को निर्देशित किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित **Elephant Under Passes** के सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त पत्र की प्रतिलिपि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा आपके कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है। इस सम्बन्ध में आपकी अध्यक्षता में प्रयोक्ता ऐजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के सक्षम अधिकारियों की बैठक आयोजित करवाकर प्रस्ताव के **Drawing and Design** पर उनकी सहमति/निर्देश प्राप्त कर लिए जाये।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तावित बैठक की तिथि सम्बन्धित आधिकारियों को अवगत कराना चाहें ताकि निर्देशानुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न कराई जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 3654 12(1)/ तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 3562 /12–1 देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2022.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के जनपद–देहरादून में राज्य राजमार्ग–24 मानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.620 तक के चार ले चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण विषयक।

सन्दर्भः– महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक प0का0ई0– वसन्त विहार, देहरादून का पत्रांक– NHAI/PIU-VSNT-VHR/55011/Rishikesh-Bhaniyawala/Forest/2021/2165

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई0यू0पी0 (Elephant Under Passes) से संबंधित विस्तारित ड्राईंग एवं भिन्न–भिन्न स्थानों पर विश्लेषण का प्रस्ताव 04 प्रतियों में स्वीकृति/सहमति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किए गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित Elephant Under Passes के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का यह मत है, कि उक्त प्रस्ताव पर तकनीकी विशेषज्ञों यथा Wildlife Institute of India (WII) एवं World Wide Fund for Nature (WWF) से टिप्पणी (comments) प्राप्त कर लिये जाए कि Under Passes की Location, Drawing and Design उचित है अथवा या नही, तथा क्या किसी अन्य ढांचा (structure) के निमार्ण की आवश्यकता तो नही है। उक्त टिप्पणी प्राप्त हो जाने पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना यथोचित होगा।

अतः यह अनुरोध है, कि यदि आप अधोहस्ताक्षरी के मन्तव्य से सहमत हो, तो अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहे अथवा इस कार्यालय को कोई अन्य दिशा–निर्देश निर्गत करना चाहें।

संलग्नक– प्रस्ताव चार (04) प्रतियों में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– 3562 12(1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।